

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application No.
2074/2025

In

S.B. Criminal Appeal No. 2395/2025

Rajendra Singh S/o Mohan Singh, Aged About 22 Years, R/o
Rampura (Lamana) , P.s. Mangliyawas, District Ajmer.
(At Present Accused Confined In Central Jail Ajmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Shyam Bihari Gautam, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Jitendra Singh Rathore, AGA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL
Order

10/11/2025

1. प्रार्थी-अभियुक्त राजेंद्र सिंह की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय-विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, नसीराबाद, (अपर सेशन न्यायाधीश नसीराबाद, अजमेर) के द्वारा एन.डी.पी.एस प्रकरण संख्या-118/2018 (07/2016) उनवान राजस्थान राज्य बनाम राजेन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 27.08.2025, जिसके द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को एक लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित अपराध अंतर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास से तथा अदम अदायगी अर्थदंड एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से नियम 311(3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है, पत्रावली पर उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका यह भी कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही उक्त आलौच्य आदेश दिनांक **27.08.2025** पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में फर्द जब्ती, नक्शामौका, फर्द गिरफ्तारी, फर्द नोटिस 50ए, नमूना सील, फर्द नष्टीकरण सील के साक्षीगण न्यायालय में परीक्षित नहीं हुए हैं, जिससे उक्त समस्त फर्द जब्ती एवं अन्य अनुसंधान कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं अन्य प्रस्तुत गवाह पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, उनके घटनास्थल पर जाने एवं वापसी के संदर्भ में रपट रोजनामचा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में धारा 57 की इत्तिला लेकर जो गवाह वरिष्ठ अधिकारी के पास गए थे, वे न्यायालय में परीक्षित नहीं हुए हैं, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में मुखबिर से जो जानकारी मिली थी, उसे धारा 42(1) के तहत उसको लिखित में रिकॉर्ड नहीं किया गया है एवं उसे न्यायालय में प्रस्तुत भी नहीं किया गया है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में ना तो मालखाना लिपिक न्यायालय में परीक्षित हुआ है और ना ही मालखाना रजिस्टर में माल को रजिस्टर करने का समय अंकित है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त की तलाशी लिए जाने से पूर्व जिन व्यक्तियों ने उसकी तलाशी ली, उनकी तलाशी की फर्द नहीं बनाई गई है, जिससे भी फर्द जब्ती की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त अभिरक्षा में चल रहा है तथा प्रकरण के सहअभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ राजू को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है, उनका यह भी कथन है कि विचारण के दौरान प्रार्थी-अभियुक्त जमानत पर आजाद था एवं उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अपील के निस्तारण में

समय लगेगा, अतः प्रार्थी-अभियुक्त का सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उसे खारिज करने का निवेदन किया।

6. पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाए गए कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000-25,000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **11.12.2025** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए कारावास के दण्डादेश (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(BHUWAN GOYAL),J